Regarding need to ensure expeditious disposal of insurance claims of victims of road accidents-Laid

श्री अभय कुमार सिन्हा **(औरंगाबाद) :** सड़क दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने पर परिवार को मुआवजा राशि देने का प्रावधान है । इस हेतु प्रखंड स्तर एवं अनुमंडल स्तर से सभी कागजात परिवहन विभाग को भेजा जाता है । परिवहन विभाग उस पीड़ित परिवार के सभी कागजात को जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भेज देता है । लेकिन इंश्योरेंस कंपनी अपनी इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभा नहीं रही है और पीड़ित परिवार को मुआवजे की राशि प्रदान करने में 8 महीने 12 महीने व 15 महीने का समय लगा देती है । जिससे परिवार को बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और इतनी देरी से मिलने के बाद उस राशि का कोई महत्व नहीं रह जाता है । अतः मैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से जनहित के लिये कहना चाहता हूँ कि बीमा कंपनी जीआईसी के अलावा किसी और बीमा कंपनी को भी इस कार्य के लिये शामिल किया जाय और भुगतान में देरी होने पर इंश्योरेंस कंपनी पर भी दंड का प्रावधान किया जाय और भुगतान की समय सीमा निर्धारित की जाय ।